International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 02(I), April - June, 2021, pp.117-120

भारत में लैंगिक समानता

डॉ. सीमा छाजेड़ (दफ्तरी)*

प्रस्तावना

''स्त्री पुरूष ईश्वर की अनुपम कृति
असमानता रखकर न करो विकृति''

लिंग असमानता एक सामाजिक मुद्दा है, जो हमारी व्यवस्था में युगों से विद्यमान है यह विशेष रूप से समाज के विभिन्न लिंगो के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार को संदर्भित करता है। आज हम 21वीं सदी का भारतीय होने पर अपने आप में गौरव का अनुभव करते है, वही एक बेटा होने पर खुशी से सरोबार हो जाते है जश्न मनाते है ढोल, नगाड़े, थालियाँ बजाते है वही बेटी के जन्म पर शान्त हो जाते है। पुत्र मोह इतना कि प्राचीन काल से ही बेटियाँ को या तो जन्म से पहले ही मारते आ रहे है, यदि शोभाग्यवश बच भी जाए तो हम जीवनभर उनके साथ भेदभाव के नये–2 तरीके ढुंढ ही लेते है।

हमारे देश में लिंग आधारित भेदभाव बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक राजनीति से लेकर, मनोरंजन तक लैंगिक भेदभाव साफ नजर आता है। विश्व आर्थिक मंच (World economic forum) के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अन्तराल रिपोर्ट (Globle Gender Gap report 2020) के अनुसार भारत 91/100 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर है इससे साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़े कितनी मजबूत और गहरी है।

ऐशियाई देशों में लिंग असमानता अधिक देखी जा सकती है, जहाँ इसे एक परम्परावश अपनाया जाता है ऐसा माना जाता है कि पुरूषों को अपने पूर्वजों के नाम को जारी रखने की शक्ति प्राप्त है। बेटे को वंश को चलाने की महत्वपूर्ण कड़ी समझा जाता हैं, जबकि इसके विपरित महिलाओं को **''विदेशी धन''** या **''पराया धन''** माना जाता है, उन्हें कभी भी पुरूषों की बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं होता।

किसी भी देश की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा होने के कारण महिला और विकास का अन्तरंग सम्बन्ध है[1] यदि किसी समाज का आधा भाग दलित, पीड़ित, शोषित या अल्प विकसित है, तो वह समाज कभी भी विकास के सोपानों को पार नहीं कर सकता। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विकास तब तक अपूर्ण है जब तक महिलाओं का विकास और विकास का लाभ महिलाओं तक पहुँचाने की व्यवस्था सम्मिलित नहीं है। तब यह महसूस किया जाने लगा कि व्यवहारिक विकास तभी सफल हो सकता है जब विकास का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को समान रूप से मिले वहीं से ''महिलाओं के लिए विकास'' और महिलाओं के साथ विकास की अवधारणाओं का विकास हुआ है।[2]

भारत में लैंगिक असमानता के कारण व प्रकार

लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों से है। भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज रहा है। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल आधार इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाज शास्त्री सिल्विया साल्बे के अनुसार पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी–औरत पर अपना प्रभुत्व समझता है, उसका दमन करता है, उसका

* असिस्टेंट प्रोफेसर, एस एस जैन सुबोध गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।

शोषण करता है। प्राचीन भारतीय हिन्दु कानुन के निर्माता मनु के अनुसार स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के एवं वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण व संरक्षण में रहना चाहिए तथा वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता योग्य नहीं है।[3]

इनके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक तथा पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते है जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। सबरीमाला, तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता का ही प्रतिबिंम्ब हैं। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक धारणा है वह घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है।

शैक्षणिक अवसरों पर असमानता

लड़की को बचपन से ही शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है क्योंकि उसे अन्य घर की धरोहर बनना होता है। महिलाओं के लिए शैक्षिण अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान विश्व में 112वां हैं इसलिए अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों में कौशल मांग की शर्तो को पुरा करने में अक्षम सिद्ध हो जाती है वहीं प्रत्येक साल हाई स्कूल व इंटरमिडिएट में लड़कियों का परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत लड़कों से बेहतर होता है, लेकिन व्यवसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरूषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

राजनीतिक महभागिता के क्षेत्र में असमानता

राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी में अन्यों की अपेक्षा भारत का प्रदर्शन (18वां स्थान) बेहतर रहा है, भारत के इस बेहतर प्रदर्शन का कारण पिछले 50 से 20 वर्षों में अनेक महिलाओं का राजनीतिक शीर्षस्थ पदो पर रहना (इंदिरा गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता) लेकिन भारतीय राजनीतिक में आज भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत ही कम है। राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की अवस्थिति बहुत उल्लेखनीय नहीं की जा सकती आंकड़ों के अनुसार केवल 14 प्रतिशत महिलाएँ ही संसद तक पहुँच पाती है (विश्व में 122वां स्थान) राजनीतिक स्तर पर केवल पंचायती राज संस्थाओं को छोड़कर अन्य उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की आरक्षण व्यवस्था नहीं है विशेष उपलब्ध नही है। इसलिए जितने स्थानों पर महिलाओं प्रतिनिधित्व होना चाहिए अपेक्षाकृत उतने स्थानों पर नहीं है।

आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

रोजगार और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। वर्ष 2017–18 के नवीनतम आधिकारिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic labour force survey) के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति (Labour Force) और सहभागिता कम है इस रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक मापदण्ड पर महिलाओं आत्मनिर्भरता पुरूषों पर बनी हुई है। तृतीय विश्व की महिला तिहरे (Triple) कार्यभार को संभालती है गृह कार्य, शिशु पालन और खाद्य उत्पादन तथापि इनकी आर्थिक स्थिति निम्नतर होती रहती है, क्योंकि महिलाओं के इन कार्यों की Under Reporting की जाती है अर्थात् महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों व उद्यमों में काम करने को तथा घरों के भीतर किए गये अवैतनिक कार्यो को घरेलु उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता। भारत में श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 29 प्रतिशत है, जबकि 2004 में यह आंकड़ा 35 प्रतिशत था। भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला आधा श्रम अवैतनिक है और लगभग पूरा श्रम औपचारिक और असुरक्षित है अधिकतर क्षेत्रों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जिसमें व्यापार जगत के शीर्ष पद भी शामिल है, हालांकि महिलाऐं कृषि कार्य से जुड़े 40 प्रतिशत कार्य करती है यद्यपि भारत में केवल 9 प्रतिशत भूमि पर ही उनका नियंत्रण है। महिलाएँ औपचारिक वित्तिय प्रणाली से बाहर है। भारत की लगभग आधी महिलाओं का कोई बैंक या बचत खाता नहीं है, जिसे वह खुद नियंत्रित करती हो। संविधान में वैधानिक तौर पर सम्पत्ति पर

महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त है, पर पारिवारिक सम्पत्ति पर महिलाओं का अधिकार हमारे समाज की प्रचलन रीत में नहीं है। 60 प्रतिशत महिलाओं के नाम पर कोई मूल्यवान सम्पत्ति नही है, आश्चर्य तो इस बात का है देश की जी.डी.पी में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 17 प्रतिशत है इसके अतिरिक्त महिलाऐं शारीरिक रूप से अधिक असुरक्षित है। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 53.9 प्रतिशत है। 153 देशों में किए गये सर्वे में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्र से कम है। इसका आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत गहरा असर होता है। विश्व बैंक समूह की वर्ष 2018 के रिपोर्ट के मुताबिक, पुरूषों और महिलाओं के वेतन में असमानता की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था को करीब 160 खरब डॉलर की क्षति उठानी पड़ती है। यह एक बहुत बड़ी क्षति है। अगर पुरूष व महिला कामगारों का वेतन एक समान कर दिया जाए तो, इससे विश्व की सम्पत्ति में हर व्यक्ति की जिन्दगी में करीब 23 हजार 620 डॉलर की वृद्धि हो जाएगी।

मनोरंजन व खेल जगत में लैगिंक असमानता

अगर बात करें मनोरंजन जगत की तो अभिनेत्रियों को भी इस भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, अक्सर फिल्मे नायक प्रधान होती है। उन्हें पारिश्रमिक भी अभिनेताओं की तुलना में कम मिलता है। इस समस्या पर कई अभिनेत्रियों ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इस भेदभाव पर कहा कि ''आजकल की महिलाऐं अपने अधिकारों के लिए अधिक जागरूक है मैं सिर्फ फिल्म उद्योग में ही बदलाव नहीं चाहती बल्कि खेल व व्यापार या अन्य किसी पेशे में महिलाओं के लिए समान वेतन चाहती हूँ'' अगर हम खेल जगत की बात करें तो वहां भी भेदभाव कुण्डली मारकर बैठा हुआ है। खेलों में मिलने वाली ईनामी राशि पुरूष खिलाड़ियों की बजाय महिला खिलाड़ियों को कम मिलती है। चाहे कुश्ती हो या क्रिकेट सम्पूर्ण खेल जगत में भेदभाव का समीकरण काम करता हैं।

लैंगिक असमानता के खिलाफ कानुनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय

औपनिवेशिक शासन के परिणामस्वरूप तृतीय विश्व के देशों की कमजोर आर्थिक स्थिति और विश्व व्यवस्था में उसकी स्तरीय अवस्थिति महिला के प्रति भेदभाव को और भी बढ़ा देती है।[4] यद्यपि 1948 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा में महिला पुरूष के समान अधिकारों में विश्वास की अभिव्यक्ति की गई थी।[5] इसी समय में हमारे संविधान निर्माताओं ने भी स्त्री–पुरूष की समानता को संवैधानिक दर्जा दे दिया। संविधान की प्रस्तावना में हर किसी के लिए सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रतिपादन किया गया है। इसी क्रम में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 15 लिंग, धर्म, जाति जन्म स्थान के आधार पर भेदभावों का निषेध करता है अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों व महिलाओं से सम्बन्धित कानुन निर्माण का अधिकार प्रदान करता है, तथा साथ ही नीति निदेशक तत्वों में भी कुछ प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा व भेदभाव उन्मुलन हेतु कानुन बनाने के लिए अधिकारित करता है।

लैंगिक असमानता को समाप्त करने के प्रयास

यद्यपि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए है, लेकिन वास्तविक बदलाव तो तब सम्भव है जब पुरूष की सोच दृष्टि में परिवर्तन लाया जाए समाज में लड़कियों के महत्व को बढाने के लिए पुरूषों–महिलाओं को संगठित प्रयास करने होगे एवं महिलाओं के प्रति नज़रिये को बदलना होगा। लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजना से कुछ अधिक है केवल महिलाशक्तिकरण पोस्टर व नारेबाजी से परिणाम नहीं आएगा वरन् यह मूल रूप से किसी भी समाज के दो मजबूत संस्थानों परिवार व धर्म की मान्यताओं को बदलने से सम्बन्धित है। समाज की मानसिकता में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दो पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक, हाजी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है।

'वन स्टॉप सेंटर योजना', महिला हेल्पलाइन योजना' और 'महिला शक्ति' केन्द्र जेसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन मे प्रगति देखी जा रही है। राजनीतिक प्रतिभागिता के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है इसी के परिणामस्वरूप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक–2020 के राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिन्दुओं की अपेक्षा भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ।

जेन्डर बजडिंग के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी बनाने की बजाय उन्हें विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाना होगा। हालाँकि, जेन्डर बजटिंग लैंगिक असमानता को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसके लिये जीआरबी के माध्यम से नीतियों को और अधिक प्रभावी और व्यापक दृष्टिकोण से युक्त बनाना होगा, उचित और व्यावहारिक आवंटन सुनिश्चित करना होगा। वास्तविक सुधारों के लिए जेन्डर बजटिंग को महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा। महिलाओं के स्तर को गरिमापूर्ण बनाने हेतु गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्हें आत्मनिर्भर शिक्षित बनाने की प्रेरणा दी है।[6]

भारत ने मैक्सिको कार्ययोजना (1975), नैरोबी अग्रदर्शी (Provident) रणनीतियाँ (1985) और लैंगिक समानता तथा विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दीं के लिए अंगीकृत ''बीजिंग डिक्लरेशन एण्ड प्लेटफार्म फॉर एक्शन को कार्यान्वित करने के लिए और कार्यवाइयाँ एवं पहलें'' जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों की अभिपुष्टि की है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केन्द्रित योजनाएँ चलाई जा रही है।

सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने को अपनी प्राथमिकता बनाया है। साथ ही उनकी तस्करी, घरेलु हिंसा तथा यौन शोषण रोकने के लिए विशेष उपाय किए है। नीतिगत कार्यक्रमों में लैंगिकता को प्रस्तावित और एकीकृत करने के लिए भी प्रयास किए गये है। जनवरी 2015 में बालिकाओं का संरक्षण और सशक्तिकरण करने वाले अभियान **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** अभियान की शुरूआत की जिसे राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जा रहा है। वित्त पोषण युवाओं के साथ महिलाओं की दक्षता और रोजगार कार्यक्रम देश के कोने–कोने में सुविधाओं से वंचित ग्रामीण महिलाओं तक पहुँच रहे है। यौन शोषण, घरेलु हिंसा और असमान पारिश्रमिक से सम्बन्धित कानुनों को भी मजबूती दी जा रही है।

सन्दर्भ

1. यादव सुषमा, शर्मा राम अवतार, भारतीय राजनीति हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ 105।
2. Kornvipa Boonsue, woman's Develpoment Models and Gender Anyasis A review gender studies occasinal paper2, bankok, Asian institute of technology, 1992, pp. 3-12.
3. मनुस्मृति नवम् अध्याय, श्लोक 15,16 और 17।
4. Vijay Agnew, Elite women in indian politics, new delhi, vikas publishing house. 1979, pp. 132-133 and for a more recent case study, see carol wolkowitz, "controlling women's access to plolitics power : A case study in Andhra pradesh, India", in Haleh Afshar (Ed.) Women, State and ideology studies from Africa adn Asia, London, The Macmillan Press, 1979, pp 204-224.
5. वीना मजूमदार (स) अग्रगामी नीतियाँ सन् 2020 तक महिलाओं की प्रगति, नई दिल्ली, लेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेन्ट स्टडीज, 1989, पृष्ठ 5–23।
6. सुथार डॉ. हुकमाराम, गांधी और तिलक : धर्म एवं राष्ट्रवाद, रितु पब्लिकेशन, जयपुर, पुष्ठ 64।

❖◆❖